

**बिहार सरकार**  
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**  
**(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)**

संख्या :- 17-आवंटन(योजना-0101)-141/2017.....

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार मिश्र, मा0प्र0से0  
निदेशक,  
भू-अभिलेख एवं परिमाण,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

सहायक निदेशक  
भू-अभिलेख एवं परिमाण,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक :

विषय :-

मुख्य शीर्ष - 2029 - भू-राजस्व -उप मुख्य शीर्ष - 00 - लघु शीर्ष - 102 - सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य - उप शीर्ष - 0101 - सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में आपके कार्यालय हेतु व्यावसायिक/कला/तकनीकी मद ईकाई कोड 28 04 के लिए 2,20,000/- (दो लाख बीस हजार) रुपये आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक - 2561 दिनांक 17.04.1998, राज्यादेश संख्या 1184 दिनांक 03.07.2015 एवं राज्यादेश संख्या 688 दिनांक 19.05.2017 के आलोक में निर्गत किया जाता है।
3. अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।
4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/इकाई कोड/मॉग संख्या - 40 एवं विपत्र कोड 40 - 2029001020101 अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।
5. यह आवंटन आदेश वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रपत्र-7 में संलग्न एजेंसी को भुगतान हेतु निर्गत किया जाता है।
6. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
7. बिहार वित्तीय नियामवली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सकें।
8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. इसकी सूचना महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को ही दी जा रही है।
11. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
12. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

विश्वासभाजन  
ह0/-  
(वीरेन्द्र कुमार मिश्र)  
निदेशक

ज्ञापांक :- 17-आवंटन(योजना-0101)-141/2017.....

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-  
निदेशक

ज्ञापांक :- 17-आवंटन(योजना-0101)-141/2017.....

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-  
निदेशक

ज्ञापांक :- 17-आवंटन(योजना-0101)-141/2017.....

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :- प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-  
निदेशक

ज्ञापांक :- 17-आवंटन(योजना-0101)-141/2017.....

पटना, दिनांक 19/2/2018

प्रतिलिपि :- आईटी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना एवं श्री संतोष कुमार, लेखापाल, बी0पी0एम0यू0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

23